प्रकरण संख्या 02/2017 RCMS ID-2017/00050 ता0रजू 26.09.2017

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

सरकार जरिये तहसीलदार करौली — प्रार्थी

बनाम

1. सोनू पुत्र सुरेश गुंसाई (नाबालिग) निवासी गैरई, तहसील करौली
2. ममता पुत्री सुरेश पत्नि सत्यवीर जाति गुंसाई निवासी रतनपुर तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर
3. प्रदीप पुत्र दिनेश जाति गुंसाई निवासी गैरई तहसील करौली
4. काडू पुत्र फूल्या जाति मीना निवासी गैरई तहसील करौली
5. गंगाराम पुत्र फूल्या जाति मीना निवासी गैरई तहसील करौली — अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 27.01.2020

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र लैण्डहोल्डर तहसीलदार करौली ने भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नंबर 395/1217 रकबा 0–14 बीघा, 396 रकबा 1–00 बीघा, 397 रकबा 2–15 बीघा, 404 रकबा 0–06 बीघा, 405 रकबा 3–17 बीघा, 407 रकबा 2–08 बीघा, 408 रकबा 1–15 बीघा, 409 रकबा 1–06 बीघा, 410 रकबा 0–13 बीघा, 411 रकबा 0–19 बीघा, 412 रकबा 1–05 बीघा, 413 रकबा 0–15 बीघा, 439 रकबा 0–05 बीघा कुल किता 13 कुल रकबा 17–18 बीघा बन्दोबस्त खतौनी सम्वत् 2015 में भोग मठ माफी मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण जी बाके देह व अहतमाम महन्त सम्पतपुरी चेला दयागिरी कौम गुसाई साकिन देह के नाम दर्ज है। उक्त आराजीयात् को महन्त सम्पतपुरी चेला दयागिरी गुंसाई के नाम संवत् 2023–26 की जमाबंदी में दर्ज है तथा इनके वारिसान के नाम नामांतरकरण संख्या 1032 दिनांक 05.09.2017 को सोनू पुत्र सुरेश (नाबालिग) जाति गुंसाई साकिन देह हि. 1/4, ममता पुत्री सुरेश पत्नि सतवीर हि. 1/4 साकिन रतनपुर तहसील बसेडी जिला धौलपुर, प्रदीप पुत्र दिनेश (नाबालिग) जाति गुंसाई साकिन देह हि. 1/2 वर्तमान रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त आराजीयात में से सम्पतपुरी चेला दयागिरी गुंसाई के द्वारा पंजीकृत वयनामा दिनांक 10.07.1979 के द्वारा खसरा नंबर 408 रकबा 1–15 बीघा, 409 रकबा 1–06 बीघा, 411 रकबा 0–19 बीघा, 412 रकबा 1–05 बीघा, 413 रकबा 0–15 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 6 बीघा का बेचान काडू, गंगाराम पुत्रान फूल्या जाति मीना निवासी कान्हापुरा तहसील सपोटरा हाल निवासी गैरई तहसील व जिला करौली को बेचान किया गया जिसका आज दिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद नहीं हुआ है। परिपत्र क्रमांक 3(2)राज–6/07/14 दिनांक 24.05.2007 को जारी परिपत्र के अनुसार जो भूमि जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी के समय जो भूमि मंदिर माफी के नाम से अथवा जरिये पुजारी खुदकाश्त के रूप में दर्ज थी, उस भूमि में किसी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। मंदिर मूर्ति निरंतर अवयस्क है। वह किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी, सेवादार आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इसके नाम से काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे प्रकरणों जिनमें मंदिर के पुजारियों के नाम भूमि दर्ज है उनमें निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु श्रीमान्जी को रेफरेन्स तैयार कर प्रेषित कर निवेदन है कि पुनः माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी बाके ग्राम गैरई के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ लैण्डहोल्डर तहसीलदार करौली ने रिपोर्ट पटवारी हल्का, जमाबंदी संवत् 2015, 2023–26, 2048–51, 2072–75 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में दर्ज इबारत आराजी खसरा नं. 395/1217 आदि कुल किता 13 कुल रकबा 17–18 बीघा अहतमाम महन्त सम्पतपुरी चेला दयागिरी कौम गुंसाई के नाम दर्ज होने की हद तक स्वीकार है। बकिया इबारत जिस तौर पर दर्ज है, गलत है, स्वीकार नहीं है। मद संख्या 2 पर दर्ज इबारत सही है, स्वीकार है। मद संख्या 3 जिस तौर पर दर्ज है, गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण जवाबदारान की कोई जानकारी में नहीं है, ना ही कभी उक्त विवादित आराजीयात पर काडू, गंगाराम पुत्रान फूल्या जाति मीना निवासी कान्हापुरा नाम के व्यक्तियों का कब्जा रहा है ना ही आज वर्तमान में कब्जा है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 4 में दर्ज इबारत कानूनी है। तहसीलदार करौली द्वारा गलत रेफरेन्स पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य है। भूमि जागरी पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी के समय मंदिर खुदकाश्त नहीं था। महन्त सम्पतपुरी चेला दयागिरी खुद काश्त था। इसलिये उसको काश्तकारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। पुनः माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी बाके ग्राम गैरई के नाम करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अंत में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि उक्त रेफरेन्स कतई गलत कानून के विरुद्ध तहसीलदार करौली ने पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। उक्त रेफरेन्स में सोनू, ममता, प्रदीप को गलत पक्षकार बनाया गया है क्योंकि सम्पतपुरी विवादित भूमि का खातेदार था जिसकी मृत्यु 18–20 साल पहले हुई थी। उसके दो पुत्र सुरेश व दिनेश थे तथा दिनेश की मृत्यु 10 साल पहले हुई। उस समय उसके पुत्र प्रदीप की उम्र करीब 10–12 माह की थी। दिनेश की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री विध्या अपने नाबालिग लड़के प्रदीप को साथ लेकर जयपुर चली गई और वहीं पर उसने पुनः विवाह कर लिया। सुरेश करीब 12 साल पहले मर गया। उसका पुत्र सोनू करीब 2 साल से फरार है। उसकी बहिन ममता की शादी हो चुकी है, वह ससुराल में रहती है। इस प्रकार विपक्षी नं. 1 ता 3 का इस भूमि से कोई संबंध नहीं है ना ही वह गांव में निवास करते हैं। इस कारण रेफरेन्स निरस्त होने योग्य है। मुझ प्रार्थी काडू ने खसरा नं. 408, 409, 411, 412, 413 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा द्वारा दिनांक 10.07.1979 को खरीदा और खरीदने के बाद करीब एक लाख रुपया जमीनों को लेवल व अच्छा बनाने के लिये अपना निजी खर्चा किया तथा तभी से लगातार मेरे कब्जे काश्त में चली आ रही है। उस समय यह भूमि सम्पत पुरी के खातेदारी में थी जिसकी जमाबंदी भी जवाब के साथ प्रस्तुत की जा रही है। मेरा कब्जा 39 वर्ष से लगातार बेरोकटोक चला आ रहा है। प्रार्थी को बोनाफाइड परचेजर है। प्रार्थी को अपने कब्जे की संरक्षित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी के वयनामा को किसी भी सिविल कोर्ट से आज तक अवैध घोषित कराने का भी कोई दावा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के अधिकारों को रेफरेन्स के माध्यम से समाप्त या चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसलिये रेफरेन्स निरस्त होने योग्य है। कुंआ लगी हुई जमीन खसरा नं. 405 जिसे पार्टी करते हैं, को सम्पतपुरी से भादो बदी दौज संवत् 2055 रुपये 44000 में खरीदी जिस पर सम्पत पुरी, दिनेश, सुरेश के हस्ताक्षर हैं जिसकी नकल जवाब के साथ पेश की जा रही है। सोनू के नाम नामांतरकरण गलत खोला गया है क्योंकि सोनू दिनेश की लड़का है और दिनेश के नाम कभी भी खातेदारी नहीं

हुई क्योंकि सम्पतपुरी ने किसी भी व्यक्ति को चेला नहीं बनाया था। इस कारण सोनू के हक में खोला गया नामान्तरकरण कतई विधि विरुद्ध है। अंत में रेफरेन्स को निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। खतौनी बंदोबस्त जमाबंदी संवत् 2015 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 395/1217 रकबा 0–14 बीघा, 396 रकबा 1–00 बीघा, 397 रकबा 2–15 बीघा, 404 रकबा 0–06 बीघा, 405 रकबा 3–17 बीघा, 407 रकबा 2–08 बीघा, 408 रकबा 1–15 बीघा, 409 रकबा 1–06 बीघा, 410 रकबा 0–13 बीघा, 411 रकबा 0–19 बीघा, 412 रकबा 1–05 बीघा, 413 रकबा 0–15 बीघा, 439 रकबा 0–05 बीघा कुल किता 13 कुल रकबा 17–18 बीघा भोग मठ माफी मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण जी बाके देह व अहतमाम महन्त सम्पतपुरी चेला दयागिरी कौम गुसाई साकिन देह के नाम दर्ज है। कालांतर में उक्त आराजीयात् महन्त सम्पतपुरी चेला दयागिरी गुंसाई के नाम संवत् 2023–26 की जमाबंदी में दर्ज होकर नामांतरकरण संख्या 1032 दिनांक 05.09.2017 को सोनू पुत्र सुरेश (नाबालिग) जाति गुंसाई साकिन देह हि. 1/4, ममता पुत्री सुरेश पत्नि सतवीर हि. 1/4 साकिन रतनपुर तहसील बसेडी जिला धौलपुर, प्रदीप पुत्र दिनेश (नाबालिग) जाति गुंसाई साकिन देह हि. 1/2 के नाम वर्तमान रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त आराजीयात में से सम्पतपुरी चेला दयागिरी गुंसाई के द्वारा पंजीकृत वयनामा दिनांक 10.07.1979 के द्वारा खसरा नंबर 408 रकबा 1–15 बीघा, 409 रकबा 1–06 बीघा, 411 रकबा 0–19 बीघा, 412 रकबा 1–05 बीघा, 413 रकबा 0–15 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 6 बीघा का बेचान काडू, गंगाराम पुत्रान फूल्या जाति मीना निवासी कान्हापुरा तहसील सपोटरा हाल निवासी गैरई तहसील व जिला करौली को बेचान किया गया जिसका आज दिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद नहीं हुआ है। परिपत्र क्रमांक 3(2)राज–6/07/14 दिनांक 24.05.2007 को जारी परिपत्र के अनुसार जो भूमि जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी के समय जो भूमि मंदिर माफी के नाम से अथवा जरिये पुजारी खुदकाश्त के रूप में दर्ज थी, उस भूमि में किसी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। मंदिर मूर्ति निरंतर अवयस्क है। वह किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी, सेवादार आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इसके नाम से काश्त दर्ज होने पर भी काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। साथ ही मंदिर माफी की भूमि का बेचान भी नहीं किया जा सकता है। अतः हम उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रार्थी लैण्डहोल्डर तहसीलदार करौली स्वीकार किया जाता है। ग्राम गैरई की आराजी खसरा नं. 395/1217 रकबा 0–14 बीघा, 396 रकबा 1–00 बीघा, 397 रकबा 2–15 बीघा, 404 रकबा 0–06 बीघा, 405 रकबा 3–17 बीघा, 407 रकबा 2–08 बीघा, 408 रकबा 1–15 बीघा, 409 रकबा 1–06 बीघा, 410 रकबा 0–13 बीघा, 411 रकबा 0–19 बीघा, 412 रकबा 1–05 बीघा, 413 रकबा 0–15 बीघा, 439 रकबा 0–05 बीघा कुल किता 13 कुल रकबा 17–18 बीघा को वापस भोग मठ माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज बाके देह के नाम दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु पत्रावली राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.02.14 13:13:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: